

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/अजमेर/

दिनांक

//आदेश//

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण पाये जाने पर उन्हें देय एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्री दिलीप सिंह राठोड़ लैब टेक्नीशियन, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर	28.06.2013	28.06.2022 09 वर्ष	एल-08	एल-10
2	श्रीमती हिना धवल, लैब टेक्नीशियन महात्मा गांधी, अस्पताल, भीलवाड़ा	14.01.2013	14.01.2022 09 वर्ष	एल-08	एल-10
3	श्री कुलदीप टेलर, लैबटेक्नीशियन महात्मा गांधी, अस्पताल, भीलवाड़ा	27.06.2013	27.06.2022 09 वर्षीय	एल-8	एल-10

कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक 02/03/23

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/अजमेर/76

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
2. चिकित्सा अधीक्षक, महात्मा गाँधी अस्पताल, भीलवाड़ा।
3. सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को अपलोड वास्तें।
6. आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर